रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09092026-276076
CG-DL-E-09092026-276076

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4745]	नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948
No. 4745]	NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 सितम्बर, 2026

का.आ. 4935(अ).— यतः, मै. ब्राह्मणी इंफ्राटेक लिमिटेड ने तेलंगाना राज्य में ममीदिपल्ली गांव, सरूरनगर मंडल, रंगा रेड्डी जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 595(अ) दिनांक 17 अप्रैल, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 60.70 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. ब्राह्मणी इंफ्राटेक लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 60.70 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके पत्र संख्या 1867309/आईटीईएंडसी/प्रोम/2023 दिनांक दिनांक 8 मार्च, 2023 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, ऐसा विमुक्त क्षेत्र राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशा-निर्देशों/मास्टर स्थानों के अनुरूप होगा;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापट्नम विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 60.70 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केंद सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.2/373/2006-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th September, 2026

S.O. 4935(E).— Whereas, M/s. Brahmani Infratech Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Mamidipalli Village, Saroornagar Mandal, Ranga Reddy District, Telangana;

AND, WHEREAS, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified an area of 60.70 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O. 595(E) dated 17th April, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. Brahmani Infratech Limited has now proposed to de-notify the entire area of 60.70 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No.1867309/ITE&C/Prom/2023 dated 8th March, 2023. Further, after de-notification, such de-notified area will conform to land use guidelines/master places of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 60.70 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/373/2006-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.09.09 12:37:18 +05'30'